न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 2775/2025
सरकार बनाम इमरान आदि।
अंतर्गत धारा– 109, 118(2), 324(4), 351(2),
352 भा०न्या०सं० व 3(2)(v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
मु०अ०सं० 208/2025
थाना– कपूरपुर, जिला– हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांकः– 03.02.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्तगण **इमरान, आमिर व शकील** जेरे हिरासत उपस्थित।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण **इमरान, आमिर व शकील** के विरुद्ध भा०न्या०सं० की धारा 109, 118(2), 324(4), 351(2), 352 एवं एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)(v) के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 17.02.2026 को पेश हो।

दिनांकः– 03.02.2026

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.02.05 11:41:48 IST
Reason:
Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 2775/2025
सरकार बनाम इमरान आदि।
अंतर्गत धारा– 109, 118(2), 324(4), 351(2),
352 भा०न्या०सं० व 3(2)(v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
मु०अ०सं० 208/2025
थाना– कपूरपुर, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण **इमरान, आमिर व शकील** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 10.10.2025 को समय करीब शाम 7 बजे, बस्थान ग्राम नारायणपुर बास्का, थाना कपूरपुर, जिला हापुड़ में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के पुत्र एवं उसके भतीजे को जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर लाठी, डण्डों व धारदार हथियारों से हमला करके आपने ऐसा कार्य कारित किया कि यदि उस कार्य से वादी की पुत्री की मृत्यु कारित हो जाती तो आप हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध के दोषी होते। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 109 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के पुत्र व उसके भतीजे के ऊपर लाठी, डण्डे व धारदार हथियार से हमला करके गंभीर उपहति कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 118(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के पुत्र व उसके भतीजे की कार के शीशे तोड़कर रिष्टि कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 324(4) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के पुत्र व उसके भतीजे को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 351(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

पंचम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के पुत्र व उसके भतीजे को अपमानित करने के आशय से उनके साथ गाली गलौज की गयी। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 352 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

षष्टम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के पुत्र व उसके भतीजे, जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, के ऊपर जान से मारने की नीयत से लाठी, डण्डों व धारदार हथियारों से हमला करके गंभीर उपहति कारित की, अपमानित करने के आशय से गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा अवमानित करने के आशय से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)(v) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 03.02.2026

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 03.02.2026

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 782/2024
सरकार बनाम आकाश आदि।
अंतर्गत धारा– 109/190, 117(2)/190,
191(2), 191(3), 324(6), 351(3),
352 भा०न्या०सं० व 3/25 आयुध अधिनियम
व 3(2)(v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
मु०अ०सं० 208/2024
थाना– बाबूगढ़, जिला– हापुड़।

<u>आरोप</u>

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण **लविश उर्फ डमडम, इशान्त उर्फ जीशान्त, दीपांशु, सोनू व हरिओम** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

<u>प्रथम</u>– यह कि दिनांक 05.07.2024 को समय करीब शाम 6 बजे, बस्थान बछलौता रोड बाबा फार्म बाबूगढ़, थाना बाबूगढ़, जिला हापुड़ में आप अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी मुकदमा की पुत्र व उसके भतीजे को जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर तमंचे से फायर करके आपने ऐसा कार्य कारित किया कि यदि उस कार्य से वादी की पुत्री की मृत्यु कारित हो जाती तो आप हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध के दोषी होते। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 109/190 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>द्वितीय</u>– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी मुकदमा की पुत्र व उसके भतीजे के ऊपर तमंचे से फायर करके गंभीर उपहति कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 117(2)/190 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>तृतीय</u>– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव कर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल/हिंसा का प्रयोग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 191(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>चतुर्थ</u>– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर तमंचा से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव कर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल/हिंसा का प्रयोग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 191(3) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>पंचम</u>– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री की मृत्यु कारित करने अथवा सदोष उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात आपके द्वारा उसके ऊपर तमंचे से फायर किया गया तथा मोबाईल तोड़कर रिष्टि कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 324(6) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>षष्टम</u>– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 351(3) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>सप्तम</u>– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री को अपमानित करने के आशय से उसके साथ गाली गलौज की गयी। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 352 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 03.02.2026

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 03.02.2026

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।